प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 9

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, अजमेर..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2022.....
प्र. इ. रि. स. .....85/22..... दिनांक .....9/5/2022.....
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....189.....समय.....6-40 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 08.03.2022.... समय 02.45 पी.एम. .....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 26.02.2022 समय.....11.30 एएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा पूर्व 13 किमी .....
(ब) पता – उपखण्ड कार्यालय पुष्कर, जिला अजमेर बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
....
6 परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री नाथुलाल खींची.....
(ब) पिता का नाम श्री सोहन लाल.....
(स) जन्म तिथि / वर्ष 38 साल.....

(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
....
(र) व्यवसाय..... .....प्राईवेट .....
(ल) पता ... 12 घाट छोटी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर .....
7 ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री रघुवीर सिंह भाटी पुत्र श्री नाथू सिंह भाटी जाति रावणा राजपूत उम्र 51 साल निवासी 15ए, न्यू गीता कॉलोनी, फॉय सागर रोड़, अजमेर हाल रीड़र (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) एस.डी.एम., कार्यालय पुष्कर जिला अजमेर
8 परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....36,000रू0 रिश्वत राशि.....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....36,000/– –रू0 रिश्वत राशि ..
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः– रिश्वत लेते हुये पडकवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैने सायरी पत्नि स्व0 श्री मिठू नट निवासी कडैल जिला अजमेर व उनके परिजनो से ग्राम कडैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर मे स्थित खसरा नम्बर 163 व 163/781 की सयुंक्त खातेदारी की 10 बीघा जमीन खरीदी थी। सायरी व उसके परिजनो से दस बीघा जमीन में से साढे आठ बीघा जमीन मैने मेरे नाम दिनांक 03.07.20214 रजिस्ट्री करवाई तथा मिठू नट के पुत्र मनमोहन के हिस्से की डेढ बीघा जमीन मेरे भाई दिलीप के नाम से दिनांक 30.07.2014 को पंजीयन विक्रय पत्र से खरीदी थी। बाद मे मैने मेरे भाई दिलीप से ढेड बीघा जमीन भी जरिये बेचान मेरे नाम पर दिनांक 04.08.2014 को करवा ली थी इस प्रकार पूरी दस बीघा जमीन का कब्जा व पंजीयन मेरे नाम पर हो गया,परन्तु पुराने गलत इन्द्राज के कारण सायरी व उसके परिजनो के नाम पर साढे नो बीघा जमीन का ही नामान्तरण हो रखा था। गलत इन्द्राज के कारण पडौसी खातेदार कल्याण वगैराह के नो बीघा जमीन के स्थान पर साढे नो बीघा जमीन का इन्द्राज राजस्व मे हो रखा था। मैने मेरी जमीन का भू उपयोग परिवर्तन करवाकर अर्पित जैन व वैभव सोनी को पौने नो बीघा जमीन बेच दी। चूकिं राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम पर करीब आधा बीघा जमीन कम थी इसलिये मैने सायरी व अन्य के नाम से कल्याण वगैराह के विरूद्व उपखण्ड कार्यालय पुष्कर मे उक्त आधा बीघा जमीन के सम्बन्ध मे दावा दायर किया गया है। चूंकि पूर्व में सायरी के समय से ही यह इन्द्राज गलत हो रखा था इसलिये उनकी तरफ से दावा दायर किया गया है। सायरी देवी पत्नि स्व. मिठू नट व उसके परिजनो से मेरे भाई दिलीप के नाम का मुख्तयार आम दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त किया गया। यह जमीन मेरी

खरीद शुदा है इसलिये समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है। वर्तमान मे उक्त दावा बाबत उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पुष्कर मे समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है। दायर दावा संख्या 28/2021 धारा 212 काश्तकार अधिनियम के तहत श्रीमती सायरी व अन्य बनाम श्री कल्याण व अन्य होकर सुनवाई उपखण्ड अधिकारी श्री सुखाराम द्वारा की जा रही हैं। दावे मे आगे की तारीख 01.04.2022 है। मै इस दावे के सम्बन्ध मे उपखण्ड अधिकारी के रीडर श्री रघु जी से मिला तो उसने दावे के सम्बन्ध मे हमारे पक्ष मे स्टे दिलवाने के बदले एसडीएम सुखाराम के लिये पहले तो एक लाख रूपयें मांगे व बाद मे पचास हजार रूपये लेने पर राजी हो गया। मै कल उपखण्ड कार्यालय मे उससे मिला तो उसने मुझे हमारे पक्ष मे स्टे ऑर्डर भी दिखाया जो टाईपशुदा था उसने कहा कि पचास हजार रूपये दे जाओ तथा स्टे ऑर्डर ले जाओ। एसडीएम से साईन करवा लूंगा। मै बहुत परेशान हूं तथा स्वंय की खरीदशुदा जमीन को भी खुद के नाम पर करवाने के लिये मै रघु जी रीडर को एसडीएम सुखाराम के लिये रूपये नही देना चाहता हूं। रघु रीडर व सुखाराम उपखण्ड अधिकारी की आपस मे मिलीभगती है। मैने अभी तक पचास हजार रूपये नही दिये इसलिये ही वे लोग मुझे स्टे ऑर्डर नही दे रहे है। मै इन लोगो को रिश्वत नही देना चाहता हूं कृपया कानूनी कार्यवाही करे तथा मुझे न्याय दिलावे। दिनांक 26.02.2022 प्रार्थी, (नाथूलाल खीची), पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी 12 घाट छोटी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर, मोबाईल नम्बर 8233915094

—:: कार्यवाही पुलिस पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर::—

दिनांक :— 26.02.2022 समय :— 11.30 ए.एम.

उपरोक्त टाईप शुदा रिपोर्ट परिवादी श्री नाथूलाल खीची पुत्र श्री सोहन लाल जाति खटीक उम्र 38 साल निवासी 12 घाट छोटी बस्ती पुष्कर जिला अजमेर द्वारा उपस्थित कार्यालय होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के समक्ष प्रस्तुत की। प्रस्तुत शुदा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दरियाफ्त पर परिवादी श्री नाथू लाल ने बताया कि " मैने सायरी पत्नि स्व0 श्री मिठू नट निवासी कडैल जिला अजमेर व उनके परिजनो से राजस्व ग्राम कडैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर मे स्थित खसरा नम्बर 163 व 163/781 की सयुंक्त खातेदारी की 10 बीघा जमीन खरीदी थी । सायरी व उसके परिजनो के नाम दस बीघा जमीन में से साढे आठ बीघा जमीन मैने मेरे नाम पर दिनांक 03.07.20214 रजिस्ट्री करवाई थी तथा मिटू नट के पुत्र मनमोहन के हिस्से की डेढ बीघा जमीन मेरे भाई दिलीप के नाम से दिनांक 30.07.2014 को पंजीयन विक्रय पत्र से खरीदी थी। बाद मे मैने मेरे भाई दिलीप से ढेड बीघा जमीन भी जरिये बेचान मेरे नाम पर दिनांक 04.08.2014 को करवा ली थी इस प्रकार पूरी दस बीघा जमीन का कब्जा व पंजीयन मेरे नाम पर हो गया। परन्तु पुराने गलत इन्द्राज के कारण सायरी व उसके परिजनो के नाम पर साढे नो बीघा जमीन का ही नामान्तरण हो रखा था। गलत इन्द्राज के कारण पडौसी खातेदार कल्याण वगैराह के नो बीघा जमीन के स्थान पर साढे नो बीघा जमीन का इन्द्राज राजस्व मे हो रखा था। मैने मेरी जमीन का भू उपयोग परिवर्तन करवाकर अर्पित जैन व वैभव सोनी को पौने नो बीघा जमीन बेच दी। चूकिं राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम पर करीब आधा बीघा जमीन कम थी इसलिये मैने सायरी व अन्य के नाम से कल्याण वगैराह के विरूद्व उपखण्ड कार्यालय पुष्कर मे उक्त आधा बीघा जमीन के सम्बन्ध मे दावा दायर किया गया है। चूकिं पूर्व में सायरी के समय से ही यह इन्द्राज गलत हो रखा था इसलिये उनकी तरफ से दावा दायर किया गया है। सायरी देवी पत्नि स्व. मिठू नट व उसके परिजनो से मेरे भाई दिलीप के नाम का मुख्तयार आम दिनांक 26.07.2021 को प्राप्त किया गया। यह जमीन मेरी खरीद शुदा है इसलिये समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है। वर्तमान मे उक्त दावा बाबत उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पुष्कर मे समस्त कार्यवाही मेरे द्वारा ही की जा रही है। दायर किये गये दावा संख्या 28/2021 धारा 212 काश्तकारी अधिनियम श्रीमती सायरी व अन्य बनाम श्री कल्याण व अन्य होकर सुनवाई उपखण्ड अधिकारी श्री सुखाराम द्वारा की जा रही है। दावे मे आगे की तारीख 01.04.2022 है। मै इस दावे के सम्बन्ध मे उपखण्ड अधिकारी के रीडर श्री रघु जी से मिला तो उसने दावे के सम्बन्ध मे हमारे पक्ष मे स्टे दिलवाने के बदले एसडीएम सुखाराम के लिये पहले तो एक लाख रूपयें मांगे व बाद मे पचास हजार रूपये लेने पर राजी हो गया। मै कल उपखण्ड कार्यालय मे उससे मिला तो उसने मुझे हमारे पक्ष मे स्टे ऑर्डर भी दिखाया जो टाईपशुदा था उसने कहा कि पचास हजार रूपये दे जाओ तथा स्टे ऑर्डर ले जाओ। एसडीएम से साईन करवा लूंगा। मै